

KONE आपूर्तिकर्ता आचार संहिता

परिचय

KONE एक आकर्षक व्यापारिक साझेदार बनना चाहता है तथा KONE और उसके आपूर्तिकर्ताओं के पारस्परिक लाभ के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ विश्वसनीय और निष्पक्ष संबंध चाहता है। KONE अपने आपूर्तिकर्ताओं से गुणवत्ता, लागत नियंत्रण, नवाचार, विश्वसनीयता और स्थिरता में क्षमता और निरंतर सुधार की अपेक्षा करता है।

KONE आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ("कोड") उन मूल्यों को दर्शाती है जिनके अनुसार KONE वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। KONE अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे KONE, अपने कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं, तथा सरकारी अधिकारियों सहित तीसरे पक्षों के साथ अपने व्यवहार में संहिता की आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

1. कानूनी अनुपालन

आपूर्तिकर्ता को सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा। यदि इस संहिता की कोई आवश्यकता राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के विपरीत हो तो आपूर्तिकर्ता को जो भी अधिक कठोर होगा उसका अनुपालन करना होगा।

यदि स्थानीय रीति-रिवाज या प्रथाएं संहिता के विपरीत हैं, तो आपूर्तिकर्ता को संहिता का अनुपालन करना होगा।

2. व्यावसायिक आचरण

2.1 नैतिक आचरण

आपूर्तिकर्ता को अपने सभी कार्यों में अपने व्यावसायिक व्यवहारों में उच्च नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा तथा किसी भी भ्रष्ट या धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार, कर चोरी या धन शोधन गतिविधियों पर रोक लगानी होगी।

2.2. भ्रष्ट आचरण का निषेध

KONE धोखाधड़ी को प्रतिबंधित करता है, तथा इसके प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है, जो किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ के लिए धोखा देने, छल करने, चोरी करने, धोखा देने, गलत बयान देने या झूठ बोलने का कार्य या इरादा है। धोखाधड़ी KONE मूल्यों और संस्कृति के साथ असंगत है।

KONE अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे सभी प्रकार की रिश्तखोरी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के प्रति शून्य सहिष्णुता रखें तथा उनके पास उपयुक्त रिश्त-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी नीतियां और नियंत्रण हों।

आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके निदेशक और कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी तीसरा पक्ष, नया व्यवसाय प्राप्त करने, मौजूदा व्यवसाय को बनाए रखने, या कोई अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कोई रिश्त न दे, न ले, या अनुचित भुगतान न करें या न ले। विशेष रूप से, आपूर्तिकर्ता किसी भी प्रकार की रिश्तखोरी या किकबैक योजना में शामिल नहीं होगा या किसी भी व्यवसाय को प्राप्त करने या बनाए रखने, किसी अन्य अनुचित लाभ को सुरक्षित करने, या किसी निर्णय को प्रभावित करने के लिए KONE कर्मचारियों या उनके परिवार या दोस्तों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देगा।

आपूर्तिकर्ता किसी KONE कर्मचारी को, या उसके अनुरोध पर, कोई उपहार, कॉर्पोरेट आतिथ्य (व्यावसायिक लंच, डिनर या मनोरंजन सहित) या अन्य लाभ प्रदान नहीं करेगा।

अन्य परिस्थितियों में, आपूर्तिकर्ता मामूली व्यावसायिक शिष्टाचार की पेशकश कर सकते हैं, बशर्ते कि वे लागू कानूनों का अनुपालन करें, तथा उनका दायरा, मूल्य और आवृत्ति सीमित हो। नकद या समकक्ष, जैसे उपहार कार्ड, कभी भी नहीं दिया जा सकता। आपूर्तिकर्ता को कभी भी KONE कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या सरकारी अधिकारियों को कोई उपहार, कॉर्पोरेट आतिथ्य या अन्य लाभ प्रदान नहीं करना चाहिए।

KONE कर्मचारियों को ऐसे आपूर्तिकर्ता से उपहार, कॉर्पोरेट आतिथ्य या अन्य लाभ स्वीकार करने की अनुमति नहीं है जो KONE के साथ किसी चल रही या आसन्न निविदा या अनुबंध वार्ता में शामिल है, या यदि कर्मचारी आपूर्तिकर्ता के चयन को प्रभावित करने की स्थिति में है।

आपूर्तिकर्ताओं को भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एजेंटों, सलाहकारों और उपठेकेदारों सहित तीसरे पक्षों पर जोखिम-आधारित उचित परिश्रम करना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं को सटीक बहीखाते और रिकार्ड बनाए रखने चाहिए, जिनमें सभी लेन-देन पारदर्शी और पूर्ण रूप से दर्शाए जाएं।

2.3 हितों का टकराव

आपूर्तिकर्ता को ऐसी किसी भी स्थिति से बचना होगा जहां व्यक्तिगत हित KONE के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के साथ टकराव में हों या टकराव में प्रतीत हों। आपूर्तिकर्ता को KONE के समक्ष किसी भी वास्तविक या संभावित हितों के टकराव का खुलासा करना होगा। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके निदेशक और कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई तीसरा पक्ष KONE कर्मचारियों के साथ ऐसा कोई व्यवसाय न करें जिसमें हितों का टकराव हो।

यदि किसी KONE कर्मचारी या उनके निकटतम परिवार के सदस्य के पास कोई भौतिक वित्तीय या आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय में रुचि रखता हो, प्रबंधकीय पद रखता हो, या आपूर्तिकर्ता के लिए काम करता हो, तो आपूर्तिकर्ताओं को KONE को सूचित करना होगा।

2.4. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा

आपूर्तिकर्ता को सभी लागू प्रतिस्पर्धा (और अविश्वास) कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना होगा। उदाहरण के लिए, आपूर्तिकर्ता अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ कीमतें बढ़ाने या उत्पादों की उपलब्धता को प्रतिबंधित करने के लिए कोई समझौता नहीं करेगा।

आपूर्तिकर्ताओं को KONE के प्रतिस्पर्धियों के साथ संवेदनशील वाणिज्यिक जानकारी का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए।

3. व्यापार अनुपालन

आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह और उसकी आपूर्ति श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा जारी सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों का अनुपालन करती है, तथा वह और उसकी आपूर्ति श्रृंखला सभी लागू निर्यात नियंत्रण और सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है।

आपूर्तिकर्ता को बिना किसी देरी के KONE को सूचित करना आवश्यक है यदि (i) आपूर्तिकर्ता स्वयं, उसका तत्काल मालिक या अंतिम लाभकारी मालिक, या आपूर्तिकर्ता का कोई निदेशक, अधिकारी या प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों या प्रतिबंधों के अधीन है या हो जाता है, या (ii) आपूर्तिकर्ता प्रतिबंध अनुपालन जांच के अधीन हो जाता है, या (iii) आपूर्तिकर्ता को पता है या हो जाता है कि KONE को उसके द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी उत्पाद, सॉफ्टवेयर या प्रौद्योगिकी किसी भी निर्यात नियंत्रण, निर्यात प्रतिबंध या निर्यात लाइसेंस आवश्यकताओं के अधीन है।

आपूर्तिकर्ता को अपनी उच्चतर आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी होनी चाहिए तथा उसे KONE को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी या सेवाओं के विनिर्माण या स्रोत के बारे में अनुरोध किए जाने पर बिना किसी देरी के जानकारी और प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

4. यथोचित परिश्रम

आपूर्तिकर्ता अपने आकार और परिचालन के अनुरूप जोखिम-आधारित समुचित परिश्रम प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा, ताकि अपने परिचालन और आपूर्ति श्रृंखला में मानव अधिकारों, पर्यावरण और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं पर संभावित या वास्तविक प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की जा सके, उन्हें रोका जा सके, कम किया जा सके और जहां आवश्यक हो, उनका समाधान किया जा सके और उनका उपचार किया जा सके।

जहां जोखिम की पहचान की जाती है, वहां आपूर्तिकर्ता उचित समय-सीमा के भीतर उचित सुधारात्मक कार्रवाई विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए KONE के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा। आपूर्तिकर्ता को उचित दस्तावेज बनाए रखना होगा तथा KONE को उचित परिश्रम दायित्वों के अनुपालन का आकलन करने के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रदान करनी होगी। इन उचित परिश्रम जिम्मेदारियों को निभाने में विफलता के परिणामस्वरूप KONE के अपने उचित परिश्रम दायित्वों के अनुरूप, व्यावसायिक संबंध को निलंबित या समाप्त करने सहित उचित परिणाम हो सकते हैं।

आपूर्तिकर्ता को इन उचित परिश्रम सिद्धांतों को अपने आपूर्तिकर्ताओं, उपठेकेदारों और व्यावसायिक साझेदारों तक व्यावसायिक संबंध के जोखिम और पैमाने के अनुपात में लागू करना चाहिए। इसमें मानव अधिकारों और पर्यावरणीय जोखिमों के लिए तीसरे पक्षों की जांच करना, यह सुनिश्चित करना कि वे समान मानकों का पालन करते हैं, तथा उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करना शामिल है।

मानवाधिकारों और पर्यावरणीय जोखिमों के अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता की उचित परिश्रम प्रक्रिया, जहां प्रासंगिक हो, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, व्यापार प्रतिबंध, वित्तीय अखंडता, डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को भी संबोधित करेगी। ये अपेक्षाएं आपूर्तिकर्ता के अपने संचालन के साथ-साथ उसके आपूर्तिकर्ताओं, उप-ठेकेदारों और अन्य व्यावसायिक साझेदारों पर भी लागू होती हैं।

4.1. मानवाधिकारों की उचित जाँच

आपूर्तिकर्ता अपने आकार और गतिविधियों के अनुपात में अपने संचालन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में वास्तविक और संभावित मानवाधिकार प्रभावों की पहचान, आकलन और समाधान करेगा। इसमें निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करना, जबरन एवं बाल श्रम तथा आधुनिक दासता को रोकना, कमजोर समूहों की सुरक्षा, गैर-भेदभाव को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित कार्य स्थितियां प्रदान करना शामिल है।

4.2. पर्यावरणीय उपयुक्तता जाँच

आपूर्तिकर्ता पर्यावरणीय जोखिमों और प्रभावों की पहचान करेगा और उन्हें कम करेगा, जिनमें संसाधन उपयोग, उत्सर्जन, प्रदूषण, अपशिष्ट और जैव विविधता से संबंधित जोखिम शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता को अपने परिचालन के दौरान पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करने तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने पैमाने और संदर्भ के अनुरूप उपाय अपनाने होंगे।

4.3. संघर्ष खनिज

आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरतेगा कि उसके उत्पादों में प्रयुक्त कोई भी खनिज जिम्मेदारी से प्राप्त किया गया हो तथा सशस्त्र संघर्ष, मानवाधिकार हनन या पर्यावरणीय क्षति में योगदान न दे। आपूर्तिकर्ता को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना होगा, जैसे कि संघर्ष प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ओईसीडी उचित परिश्रम मार्गदर्शन।

5. श्रम और मानवाधिकारों का सम्मान

आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का सम्मान करेगा, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक, व्यापार और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत, तथा कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा में निर्धारित सिद्धांत शामिल हैं।

5.1. गैर-भेदभाव

आपूर्तिकर्ता एक विविधता पूर्ण, समतापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देगा जहां सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता लिंग, लैंगिक पहचान, आयु, स्वास्थ्य स्थिति, धर्म या विश्वास, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक राय, या राष्ट्रीय या जातीय मूल, या किसी अन्य विशेषता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति, मुआवजा, पदोन्नति, अनुशासन, समाप्ति या सेवानिवृत्ति में भेदभाव नहीं करेगा, जो व्यक्ति की योग्यता या नौकरी के लिए अंतर्निहित आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है।

5.2. बाल और जबरन श्रम

आपूर्तिकर्ता 15 वर्ष से कम आयु के या काम के लिए स्थानीय कानूनी न्यूनतम आयु या अनिवार्य स्कूली शिक्षा आयु, जो भी अधिक हो, से कम आयु के श्रमिकों को काम पर नहीं रखेगा। कोई भी युवा कर्मचारी ऐसा काम नहीं करेगा जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक या हानिकारक हो या उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा डालता हो। आपूर्तिकर्ता किसी भी परिस्थिति में जबरन श्रम (तस्करी, अनुबंधित या बंधुआ मजदूरी सहित) का उपयोग नहीं करेगा या बाल श्रम या जबरन श्रम का उपयोग करने वाले उपठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध नहीं करेगा। मानसिक और शारीरिक दबाव, गुलामी और मानव तस्करी निषिद्ध है। आपूर्तिकर्ता को अपने परिचालन और आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत ऋण बंधन, मानव तस्करी और अनैच्छिक दासता सहित आधुनिक दासता के सभी रूपों को सक्रिय रूप से रोकना होगा।

5.3 सम्मान और गरिमा

आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी को शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अन्य प्रकार की धमकी का सामना न करना पड़े।

5.4 नियोजन के निबंधन

आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारियों (ठेकेदारों, अस्थायी या अंशकालिक कर्मचारियों सहित) को दिया जाने वाला मुआवजा सभी लागू मजदूरी कानूनों के अनुरूप हो, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवर टाइम घंटे, सवेतन अवकाश और अनिवार्य लाभ से संबंधित कानून भी शामिल हैं। जहां कानूनी न्यूनतम मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी से कम हो, वहां आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सद्भावनापूर्वक जीवन निर्वाह मजदूरी का भुगतान करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य करें। आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को रोजगार दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं जिन पर स्वतंत्र रूप से सहमति हो तथा जो उनके कानूनी और संविदात्मक अधिकारों का सम्मान करते हों।

5.5 संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

आपूर्तिकर्ता को सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में, औद्योगिक कार्रवाई सहित, अपने कर्मचारियों के स्वतंत्र रूप से जुड़ने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने के अधिकार का सम्मान करना होगा। किसी भी संगठन में शामिल होने या शामिल न होने के अपने कानूनी अधिकार के प्रयोग में कर्मचारियों को डराया या परेशान नहीं किया जाएगा।

5.6 शिकायतें

आपूर्तिकर्ता को अपने कर्मचारियों को इस संहिता में उल्लिखित किसी भी अनुपालन आवश्यकता के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करने के साधन उपलब्ध कराने होंगे, तथा जो भी कर्मचारी सद्भावनापूर्वक ऐसी रिपोर्ट करेगा, उसे प्रतिशोध से संरक्षित किया जाएगा।

5.7 सामुदायिक अधिकार

आपूर्तिकर्ता को अपने सभी कार्यों में सामुदायिक अधिकारों, जैसे भूमि तक पहुंच, भूमि उपयोग अधिकार और सुरक्षित पर्यावरण के अधिकार का सम्मान करना होगा। आपूर्तिकर्ता को जहां तक संभव हो, अपने परिचालन वाले स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का आकलन, पूर्वानुमान और निवारण करना चाहिए, तथा बच्चों, जातीय अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों जैसे कमजोर समूहों पर विशेष जोर देना चाहिए। जहां परिचालन से स्वदेशी लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं या स्थानीय समुदायों के पारंपरिक स्वामित्व या उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल हो सकती है, वहां आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति

(एफपीआईसी) प्राप्त की जाए।

5.8 सुरक्षा बलों का उपयोग

व्यावसायिक परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए, आपूर्तिकर्ता केवल विश्वसनीय सुरक्षा बलों का उपयोग करेगा और उचित प्रशिक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि ये सुरक्षा बल सभी लागू कानूनों का पालन करें और विशेष रूप से, यातना के निषेध का उल्लंघन न करें, लोगों के जीवन और अंगों को अवैध रूप से खतरे में न डालें और श्रमिकों की संघ बनाने की स्वतंत्रता को बाधित न करें।

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा

आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारियों को सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण मिले। आपूर्तिकर्ता को अपनी सुविधाओं पर स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का आकलन करना होगा तथा सुरक्षा मुद्दों की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाए रखनी होगी।

आपूर्तिकर्ता के कर्मचारियों को उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जानकारी, प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आपूर्तिकर्ता के पास प्रभावी सुरक्षा कार्यक्रम भी होने चाहिए, जिनमें कम से कम मानव सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और खतरनाक रसायनों, जैविक पदार्थों, महामारियों और विश्वव्यापी महामारी के प्रति जोखिम को शामिल किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी KONE के लिए काम करते समय शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होंगे।

7. पर्यावरण

आपूर्तिकर्ता को अपने परिचालनों, उत्पादों या सेवाओं से जुड़े किसी भी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए सभी उचित और आनुपातिक उपाय करने होंगे। इसमें वायु, जल, मृदा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।

आपूर्तिकर्ता को सभी लागू पर्यावरण कानूनों, विनियमों और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ विशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण या निपटान के लिए निषेध, प्रतिबंध, लेबलिंग के संबंध में किसी भी KONE आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, जैसा कि आपूर्ति और खरीद समझौते के पर्यावरण अनुबंध में निर्दिष्ट है।

आपूर्तिकर्ता को अपने परिचालन के लिए आवश्यक सभी लागू पर्यावरणीय परमिट, लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने, बनाए रखने और उनका अनुपालन करना होगा। आपूर्तिकर्ता को उत्सर्जन और प्रदूषकों (वायु, मिट्टी और जल सहित) तथा अपने परिचालनों से उत्पन्न अन्य अपशिष्टों की निगरानी, नियंत्रण, न्यूनतमीकरण और उचित उपचार करना होगा। आपूर्तिकर्ता को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से बचना होगा या उसे न्यूनतम करना होगा तथा ऐसे कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी होगी जो संरक्षित क्षेत्रों, प्रजातियों या वनों को प्रभावित कर सकते हैं। आपूर्तिकर्ता को अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार करना होगा तथा अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास करना होगा, उदाहरण के लिए ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन, तथा अपशिष्ट रोकथाम, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण प्रथाओं में सुधार के माध्यम से।

आपूर्तिकर्ता को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त, संरचित और व्यवस्थित दृष्टिकोण को लागू करना होगा, जिसमें, जहां प्रासंगिक हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों (जैसे, आईएसओ 14001) के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना शामिल है। जहां लागू हो, आपूर्तिकर्ता को KONE आपूर्तिकर्ता आचार संहिता और संबंधित उचित परिश्रम आवश्यकताओं में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप, अपनी आपूर्ति श्रृंखला और व्यावसायिक भागीदारों के भीतर पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को भी बढ़ावा देना होगा। KONE आपूर्तिकर्ताओं को SBT-i और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

8. बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रचार

आपूर्तिकर्ता को बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सभी लागू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन करना होगा। आपूर्तिकर्ता को KONE या किसी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य और डिजाइन अधिकार शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

जब तक KONE के साथ लिखित रूप में स्पष्ट रूप से सहमति न हो, आपूर्तिकर्ता KONE के साथ अपने सहयोग को प्रचारित करने या किसी भी रूप में KONE के ट्रेडमार्क या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करने का हकदार नहीं है।

9. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

आपूर्तिकर्ता को यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) सहित लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करना होगा।

आपूर्तिकर्ता को व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करना होगा।

10. निगरानी और रिपोर्टिंग

आपूर्तिकर्ता नियमित रूप से (कम से कम वार्षिक रूप से) संहिता के अनुपालन की निगरानी करेगा।

आपूर्तिकर्ता, अनुरोध करने पर, KONE को संहिता के साथ आपूर्तिकर्ता के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेगा। आपूर्तिकर्ता को KONE को निगरानी गतिविधियां करने की अनुमति देना आवश्यक है। यदि KONE के पास यह मानने का कोई कारण हो कि आपूर्तिकर्ता संहिता का उल्लंघन कर रहा है (उदाहरण के लिए मीडिया रिपोर्टों के आधार पर), तो KONE स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के प्रासंगिक परिसर का सर्वेक्षण कर सकता है ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि की जा सके।

यदि आपूर्तिकर्ता ने, KONE की उचित राय में, संहिता का भौतिक रूप से उल्लंघन किया है, तो KONE को आपूर्तिकर्ता के साथ व्यावसायिक संबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार है।

यदि आपूर्तिकर्ता को अपने कर्मचारियों या KONE कर्मचारियों द्वारा संहिता की किसी भी आवश्यकता के उल्लंघन के बारे में पता चलता है, तो आपूर्तिकर्ता यथाशीघ्र KONE को सूचित करेगा। यदि आपूर्तिकर्ता KONE प्रोक्योरमेंट के साथ मामले पर चर्चा करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट compliance@KONE.com पर भेजी जा सकती है या KONE कंप्लायंस लाइन रिपोर्टिंग चैनल के माध्यम से (स्थानीय कानून द्वारा अनुमति दिए जाने पर गुमनाम रूप से) बनाई जा सकती है: <https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>

11. प्रयोज्यता

KONE के साथ काम करने पर सहमति देकर आपूर्तिकर्ता यह पुष्टि करता है कि वह और उसके सहयोगी संहिता का अनुपालन करते हैं। इस संहिता में "संबद्ध" से तात्पर्य उस कंपनी से है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा नियंत्रित होती है, आपूर्तिकर्ता को नियंत्रित करती है या आपूर्तिकर्ता के साथ संयुक्त नियंत्रण में होती है।

आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार, परामर्शदाता और साझेदार संहिता के सिद्धांतों का अनुपालन करें।

स्वीकार और अनुमोदित

जगह _____ दिनांक _____

कंपनी का नाम _____

हस्ताक्षर _____

कंपनी की पंजीकरण संख्या _____